(107)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1197–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–6–2015 पारित द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील व जिला धार के प्रकरण कमांक 7/अ–12/2014–15 ।

.....

1–शंकर पिता जयराम

2–देवचरण पिता जयराम

निवासीगण ग्राम माण्डव तहसील व जिला धार

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–अशोक पिता मांगीलाल

निवासी ग्राम माण्डव तहसील व जिला धार

2–किशोरीलाल पिता गोवर्धन

निवासी तिरूपति नगर तहसील व जिला धार

3–मध्यप्रदेश शासन द्वारा पटवारी जिला धार

..... अनावेदकगण

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक–आवेदकगण

श्री आर0पी0पालीवाल, पेनल अभिभाषक–अनावेदक कमांक 3

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 13/12/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार तहसील व जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–6–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा ग्राम माण्डव तहसील व जिला धार स्थित भूमि सर्वे नम्बर 560 व 562 के सीमांकन हेतु तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का राजस्व निरीक्षक से सीमांकन कराया जाकर दिनांक 15–06–2015 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदकगण को विधिवत सूचना दिये बिना सीमांकन किया गया है, जो कि अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पड़ोसी कृषकों को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थायी सीमा चिन्हों से सीमांकन की कार्यवाही नहीं किया गया है तथा मौके पर फील्डबुक आदि भी नहीं बनाई गई है। उनके द्वारा सीमांकन आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत आवेदकगण सहित पड़ोसी कृषको को सूचना दिया जाकर सीमांकन किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है। यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत मौके पर पंचनामा, फील्डबुक एवं नक्शा तैयार किया गया है, और स्थायी सीमा चिन्हों से सीमांकन किया गया है । उनके द्वारा राजस्व निरीक्षक का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट है कि आवेदक पक्ष को सूचना पत्र जारी नहीं किया गया है तथा पंचनामें पर भी आवेदकपक्ष के हस्ताक्षर नहीं है । अभिलेख में फील्डबुक भी संलग्न नहीं की गई है । इससे स्पष्ट

है कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकपक्ष को सूचना दिये गये बगैर उसके पीठ पीछे सीमांकन की कार्यवाही की गई है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा किया गया सीमांकन विधिवत् नहीं माना जा सकता है । इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित सीमांकन आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक को सूचना दी जाकर पुनः सीमांकन किये जाने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार तहसील व जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–6–2015 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर